



राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

क्रमांक:-

/राज पत्र/शुल्क/2024-25

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राजस्थान राजपत्र की अधि. सूचना मुद्रण /4(96)/03/पार्ट- /ई-गजट 5269 दिनांक 21.10.2019 के आदेशानुसार सर्व साधारण निजी व सरकारी संस्थाओं के लिये साधारण एवं असाधारण राजपत्र के ई-गजट प्रकाशन की पूर्व के शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये निम्न प्रकार दरें निर्धारित की जाती है:-

1. असाधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ - 3721 रुपये।
 2. साधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ - 1861 रुपये।
- उक्त दरे 01.04.2025 से प्रभावी होगी।

— 
कार्यालयाध्यक्ष

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. अधीक्षक कलर्क ~~लेखा शाखा~~ **मुद्रणालय**।
4. प्रभारी असाधारण राज पत्र प्रकाशन शाखा।
5. प्रभारी साधारण राजपत्र प्रकाशन शाखा।
6. प्रभारी राजपत्र ~~कम्प्यूटर प्रभारी~~।

7. कैश शाखा को प्रति दि जाकर निर्देश दिये जाते है कि गजट से संबंधित पोर्टल पर दिनांक 01.04.2025 से पूर्व सूचना अपडेट करावे।

8. नोटिस बोर्ड (मुद्रणालय/निदेशालय) चस्पा हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष

AR/sarfarz ji

1

Signature valid



Digitally signed by Mohammed Sarfaraz Khan
Designation : Assistant Administrative Officer
Date: 2025.03.28 18:21:48 IST
Reason: Approved